


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वादा पत्र संख्या 152/2016 GCMS NO. 2016/00102 उनवानी रामचन्द्र बनाम रामनिवास आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>04.11.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान हाजिर आये। न्यायालय समय तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पक्षकारान स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः वादी का हस्तगत वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="249 831 482 1058" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="673 831 1049 1058" data-label="Text"> <p style="text-align: center;">  (बन्शी/धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी </p> </div> </div>	

